प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 05.12.2025

थाना इलिया

🛑 **थाना इलिया पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार**

आज दिनांक 04.12.2025 को सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी तमन्चा से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने पर, सोशल मीडिया सेल चन्दौली व उच्चाधिकारीगणों द्वारा अवगत कराये जाने पर उक्त वीडियो की जांच पडताल की गयी तो जानकारी हुआ कि उक्त वीडियो ग्राम रोहाखी में शादी समारोह का था जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग की गयी थी। उक्त जानकारी के क्रम में सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को ग्राम रोहाखी के ग्रामवासियो को दिखाकर तस्दीक किया गया तो ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि इस वीडियो में जो व्यक्ति हर्ष फायरिंग कर रहा है वह अभिषेक पाण्डेय उर्फ विपिन पाण्डेय पुत्र प्रभु नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम रोहाखी थाना इलिया जनपद चन्दौली है। हर्ष फायरिंग का वीडियो तस्दीक हो जाने पर हल्का प्रभारी उ0नि0 रवीन्द्र कुमार सिंह द्वारा एक किता तहरीर थाना कार्यालय दाखिल किया गया। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/2025 धारा 125 BNS व धारा 25(9) आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कोतवाली व जनपद चन्दौली

🔷 **कोतवाली चन्दौली पुलिस टीम द्वारा छिनैती 01 मोटरसाइकिल की बरामदगी करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।**

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 04.12.2025 को कोतवाली चन्दौली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 346/25 धारा 115(2),352,351(2),309(4),317(2)BNS, बी.एन.एस से सम्बन्धित एक मोटर साईकिल इंजन नम्बर PFXPMD23202 चेचिस नम्बर MD2A76AX2MPD08036 की बरामदगी करते हुए 01 अभियुक्त शुभम प्रजापति पुत्र सन्तोष उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम विसुन्धरी थाना व जिला चन्दौली को गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूर्व की घटना- दिनाँक 30.11.2025 को कोतवाली चन्दौली पर वादी राकेश राय 5/0 काशी राय ग्राम महेशुआं नई बाजार थाना सकलडीहा जिला चन्दौली द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनाँक 29.11.2025 को समय लगभग रात्रि 10.00 बजे वह अपनी दुकान बंद करके अपनी मोटरसाइकिल UP67AD 2102 प्लेटिना से घर वापस जा रहे थे रास्ते में ग्राम बरठी के पास दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ मारपीट करके वादी की मोटरसाइकिल छीन कर भाग गयें। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 346/25 धारा 115(2),352,351(2),309(4),317(2)BNS, बी.एन.एस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित की गयी।

अभियुक्त का नाम व पता –

1- शुभम प्रजापति पुत्र सन्तोष प्रजापति उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम विसुन्धरी थाना व जिला चन्दौली।
2- बाल अपचारी।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. नि0 संजय कुमार सिह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली।
3. उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली।
4. हे0का0 अखिलेश यादव कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली।

कोतवाली व जनपद चन्दौली

🔹 **कोतवाली चन्दौली पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा दिनांक 04.12.2025 को करीब 20.35 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 – 04/ 2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त 1. पवन कुमार पुत्र लक्ष्मी चौधरी निवासी वार्ड नं0- 8 मल्लाह टोला थाना अरवल जिला अरवल बिहार उम्र करीब 21 वर्ष, 2. गोविन्द कुमार पुत्र चन्द्रभूषण शाह निवासी रोड नं-14 दुर्गा चौक इन्द्रपुरी थाना पाटलीपुत्र जनपद पटना बिहार को चन्दौली मझवार रेलवे स्टेशन के गेट नम्बर 02 के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता –
1-पवन कुमार पुत्र लक्ष्मी चौधरी उम्र करीब 21 वर्ष निवासी वार्ड नं0- 8 मल्लाह टोला थाना अरवल जिला अरवल बिहार
2-गोविन्द कुमार पुत्र चन्द्रभूषण शाह निवासी रोड नं-14 दुर्गा चौक इन्द्रपुरी थाना पाटलीपुत्र जनपद पटना बिहार

अपराधिक इतिहासः-
मु0अ0सं0 50/2024 धारा 60/63 आ0अधि0 व 419/420/414भादवि थाना व जिला चन्दौली
मु0अ0सं0 – 04/ 2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
1. प्र0नि0 संजय कुमार सिह कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 रामनाथ यादव कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली।
3. का0 दिलीप कुमार कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली।